

विधि और न्याय मंत्रालय

मांग संख्या 65

विधि और न्याय

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	1431.52	286.00	1717.52	1745.82	1100.00	2845.82	3269.00	1122.00	4391.00	1978.48	1615.00	3593.48
<b>वसूलियां</b>	-160.22	...	-160.22	-200.00	...	-200.00	-180.00	...	-180.00	-200.00	...	-200.00
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>1271.30</b>	<b>286.00</b>	<b>1557.30</b>	<b>1545.82</b>	<b>1100.00</b>	<b>2645.82</b>	<b>3089.00</b>	<b>1122.00</b>	<b>4211.00</b>	<b>1778.48</b>	<b>1615.00</b>	<b>3393.48</b>
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	182.43	...	182.43	217.70	...	217.70	225.58	...	225.58	243.78	...	243.78
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	...	...	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
3. कर न्यायाधिकरण	95.81	...	95.81	119.30	100.00	219.30	118.35	122.00	240.35	122.00	115.00	237.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>278.24</b>	<b>...</b>	<b>278.24</b>	<b>337.20</b>	<b>100.00</b>	<b>437.20</b>	<b>344.13</b>	<b>122.00</b>	<b>466.13</b>	<b>365.98</b>	<b>115.00</b>	<b>480.98</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन</b>												
4. कानूनी सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान एवं अध्ययन	33.92	...	33.92	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. भारत में न्याय के लिए समग्र अभिगम के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना (डिशा)	...	...	...	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
6. ई-कोर्ट फेज़-II	179.30	...	179.30	98.82	...	98.82	98.82	...	98.82	...	...	...
7. ई-कोर्ट फेज़ III	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
<b>जोड़-राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन</b>	<b>213.22</b>	<b>...</b>	<b>213.22</b>	<b>138.82</b>	<b>...</b>	<b>138.82</b>	<b>138.82</b>	<b>...</b>	<b>138.82</b>	<b>41.00</b>	<b>...</b>	<b>41.00</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>213.22</b>	<b>...</b>	<b>213.22</b>	<b>138.82</b>	<b>...</b>	<b>138.82</b>	<b>138.82</b>	<b>...</b>	<b>138.82</b>	<b>41.00</b>	<b>...</b>	<b>41.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
8. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी,	10.00	...	10.00	11.00	...	11.00	34.25	...	34.25	20.00	...	20.00
9. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	145.00	...	145.00	170.00	...	170.00
10. भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई)	...	...	...	3.00	...	3.00	10.00	...	10.00	3.50	...	3.50
11. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
12. संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आई सी पी एस)	...	...	...	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	...	...	...

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-स्वायत्त निकाय	110.00	...	110.00	116.50	...	116.50	191.75	...	191.75	196.50	...	196.50
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	110.00	...	110.00	116.50	...	116.50	191.75	...	191.75	196.50	...	196.50
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं												
13. ग्राम न्यायालय	...	...	...	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	...	...	...
14. न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं	599.00	...	599.00	776.00	...	776.00	770.44	...	770.44	858.00	...	858.00
जोड़-न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं	599.00	...	599.00	784.00	...	784.00	778.44	...	778.44	858.00	...	858.00
महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन												
15. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट												
15.01 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट	...	...	...	200.00	...	200.00	180.00	...	180.00	200.00	...	200.00
15.02 निर्भया निधि से पूरा किया गया	...	...	...	-200.00	...	-200.00	-180.00	...	-180.00	-200.00	...	-200.00
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	599.00	...	599.00	784.00	...	784.00	778.44	...	778.44	858.00	...	858.00
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
16. चुनाव के घटक												
16.01 लोकसभा चुनाव	13.87	...	13.87	100.00	...	100.00	1300.00	...	1300.00	180.00	...	180.00
16.02 मतदाताओं के लिए पहचान पत्र	12.00	...	12.00	7.20	...	7.20	15.76	...	15.76	18.00	...	18.00
16.03 चुनाव संबंधी अन्य व्यय	39.97	...	39.97	57.10	...	57.10	257.10	...	257.10	94.00	...	94.00
जोड़- चुनाव के घटक	65.84	...	65.84	164.30	...	164.30	1572.86	...	1572.86	292.00	...	292.00
17. निर्वाचन आयोग के लिए ई वी एम	5.00	286.00	291.00	5.00	1000.00	1005.00	63.00	1000.00	1063.00	25.00	1500.00	1525.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	70.84	286.00	356.84	169.30	1000.00	1169.30	1635.86	1000.00	2635.86	317.00	1500.00	1817.00
<b>कुल जोड़</b>	<b>1271.30</b>	<b>286.00</b>	<b>1557.30</b>	<b>1545.82</b>	<b>1100.00</b>	<b>2645.82</b>	<b>3089.00</b>	<b>1122.00</b>	<b>4211.00</b>	<b>1778.48</b>	<b>1615.00</b>	<b>3393.48</b>
<b>ब. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. न्याय प्रशासन	380.78	...	380.78	303.32	...	303.32	380.57	...	380.57	297.60	...	297.60
2. चुनाव	70.84	...	70.84	169.30	...	169.30	1635.86	...	1635.86	317.00	...	317.00
3. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	95.81	...	95.81	119.30	...	119.30	118.35	...	118.35	122.00	...	122.00
4. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	115.51	...	115.51	147.40	...	147.40	153.28	...	153.28	169.98	...	169.98
5. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	9.71	...	9.71	14.30	...	14.30	14.30	...	14.30	15.70	...	15.70
6. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	286.00	286.00	...	1100.00	1100.00	...	1122.00	1122.00	...	1615.00	1615.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	672.65	286.00	958.65	753.62	1100.00	1853.62	2302.36	1122.00	3424.36	922.28	1615.00	2537.28

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	...	...	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	...	...	...	<b>0.20</b>	...	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	...	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	...	<b>0.20</b>
<b>अन्य</b>												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	92.28	...	92.28	92.28	...	92.28	89.99	...	89.99
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	547.00	...	547.00	639.72	...	639.72	634.16	...	634.16	706.01	...	706.01
10. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	51.65	...	51.65	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>598.65</b>	...	<b>598.65</b>	<b>792.00</b>	...	<b>792.00</b>	<b>786.44</b>	...	<b>786.44</b>	<b>856.00</b>	...	<b>856.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1271.30</b>	<b>286.00</b>	<b>1557.30</b>	<b>1545.82</b>	<b>1100.00</b>	<b>2645.82</b>	<b>3089.00</b>	<b>1122.00</b>	<b>4211.00</b>	<b>1778.48</b>	<b>1615.00</b>	<b>3393.48</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग, न्याय विभाग, राजभाषा खण्ड, संगठित मुकदमा अभिकरण, विधि साहित्य प्रकाशन, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा न्यायिक वितरण और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए उपाय।

3. **कर न्यायाधिकरण:** यह प्रावधान आयकर अपील न्यायाधिकरण (आई.टी.ए.टी.) के सचिवालय व्यय के लिए है।

4. **कानूनी सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान एवं अध्ययन:** यह प्रावधान, कार्य अनुसंधान/आमूल परिवर्तन/ अध्ययन की निगरानी, संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन आदि करने के लिए न्यायिक वितरण, विधिक शिक्षा और अनुसंधान तथा कानूनी सुधारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को वित्तीय सहायता देने के लिए है।

5. **भारत में न्याय के लिए समग्र अभिगम के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना (डिशा):** यह प्रावधान न्यायमूर्ति एनईजेके और एनईजेके के अलावा अन्य को लागू करने के लिए है (जिसमें 3 कार्यक्रम टेली लॉ, न्याय बंधु और न्याय मित्र शामिल हैं) जिसमें विधायक और सांसद के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान भी शामिल है।

6. **ई-कोर्ट फेज़-II:** यह प्रावधान वादियों, अधिवक्ताओं तथा न्यायतंत्र को नामित सेवा प्रदान करने के लिए देश के जिला/अधीनस्थ न्यायालयों को आईसीटी समर्थकारी बनाने हेतु ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के लिए है।

7. **ई-कोर्ट फेज़ III:** ई-कोर्ट चरण III के लिए टोकन प्रावधान।

8. **राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी:** यह प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

9. **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण:** यह प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

10. **भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई):** यह प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

11. **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र:** यह प्रावधान मध्यस्थता केंद्र को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

12. **संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आई सी पी एस):** यह प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

13. **ग्राम न्यायालय:** यह प्रावधान अपने राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

14. **न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं:** न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं: यह प्रावधान विधानमंडल, विधानमंडल के विना और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के साथ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत अनुदान / सहायता प्रदान करने के लिए है।

15. **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट:** बलात्कार और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत लंबित पट्टे वादों का तेजी परीक्षण और निपटान किए जाने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का गठन।

16.01. **लोकसभा चुनाव:** यह प्रावधान आम लोकसभा चुनाव कराने के लिए शुल्क के संबंध में अग्नेय दायित्व को पूरा करने के लिए है।

16.02. **मतदाताओं के लिए पहचान पत्र:** यह प्रावधान मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने पर राज्यों / संघ राज्य सरकार को केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति के लिए है।

16.03. **चुनाव संबंधी अन्य व्यय:** इसके अंतर्गत सामान्य चुनावी खर्च के संबंध में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

17. **निर्वाचन आयोग के लिए ई वी एम:** यह प्रावधान द्वारा बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इकाइयों की खरीद के लिए चुनाव आयोग को धन उपलब्ध कराने के लिए और मतदाता सूची के मुद्रण तथा ईवीएम के सहायक खर्च तथा अप्रचलित ईवीएम की खराबी संबंधी व्यय के बारे में हैं।